भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *162

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण

†*162. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 121 किलोमीटर लंबे पालक्काड-कोझिकोड ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 8,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए 95 प्रतिशत से अधिक भूमि अर्जन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जो अधिकांशत: पालक्काड, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह ग्रीनफील्ड राजमार्ग आठ राज्य राजमार्गों और पांच प्रमुख जिला सड़कों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-544 और राष्ट्रीय राजमार्ग-64 से सीधे जुड़ जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अन्य सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और शेष कार्य अर्जित भूमि पर ढांचों को गिराने के लिए सभी भवनों की सूची तैयार करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"ग्रीनफील्ड राजमार्ग का निर्माण" के संबंध में श्री वी. के. श्रीकंदन द्वारा पूछे गए दिनांक 30.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *162 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) एनएच-966 के 121 किलोमीटर लंबाई के 4 लेन प्रवेश-नियंत्रित पालक्काड-कोझिकोड ग्रीनफील्ड राजमार्ग के विकास के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नए यातायात और इंजीनियरिंग संबंधी उचित जांच के लिए समीक्षा के अधीन है।

केरल में एनएच-66 पर ढलान संरक्षण और प्रबलित मृदा (रीइंफोर्स्ड सोइल) (आरएस) वॉल से संबंधित हाल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, डिजाइन में संशोधन किया गया है। 10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली आरएस वॉल के स्थान पर वायाडक्ट का प्रस्ताव किया गया है। परियोजना का अनुमोदन यातायात सघनता, संपर्कता (कनेक्टिविटी) की आवश्यकता और पीएम गति-शक्ति सिद्धांतों के साथ तालमेल आदि पर निर्भर करता है।

(ख) भूमि अर्जन (एलए) की स्थिति निम्नानुसार है:

कुल 652 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है और भूमि अर्जन की अनुमानित लागत 6816 करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत यह भूमि अर्जित की जा रही है और अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भूमि अर्जन की स्थिति निम्नानुसार है:

धारा 3क:- 549 हेक्टेयर (84%)

धारा 3घ:- 549 हेक्टेयर (84%)

धारा 3छ:- 542 हेक्टेयर (83%)

धारा 3ज:- 503 हेक्टेयर (77%)

कुल 6816 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में से 4319 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है।

(ग) प्रस्तावित ग्रीनफील्ड राजमार्ग पालक्कड़ जिले में एनएच-544 पर मरुथारोड के पास से शुरू होकर कोझिकोड जिले में एनएच-66 पर पंथीरंकावु में समाप्त होगा। यह राजमार्ग 5 राज्य राजमार्गों अर्थात् एसएच-70, एसएच-39, एसएच-73, एसएच-28 और एसएच-65 तथा 15 प्रमुख जिला सड़कों से होकर गुजरता है।

(घ) इस परियोजना को मूल्यांकन के लिए अभी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
